



राजस्थान राज—पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

वैशाख 26, बुधवार, शाके 1934—मई 16, 2012
Vaisakha 26, Wednesday, Saka 1934—May 16, 2012

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मई 16, 2012

संख्या प. 2 (24) विधि/2/2012.—राजस्थान राज्य विधान—मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 15 मई, 2012 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद् अधिनियम, 2012

(2012 का अधिनियम संख्याक 17)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 15 मई, 2012 को प्राप्त हुई]

राज्य में आयुर्वेद नर्सिंग परिषद् के गठन, आयुर्वेद नर्सिंग वृत्ति के विनियमन और आयुर्वेद नर्सिंग विषयों में शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं की मान्यता के लिए और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद् अधिनियम, 2012 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) "परिषद्" से धारा 3 के अधीन स्थापित राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद् अभिप्रेत है;
- (ख) "सदस्य" से परिषद् का कोई सदस्य अभिप्रेत है;
- (ग) "नर्स" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो मान्यताप्राप्त आयुर्वेद नर्सिंग अर्हता धारण करता है और जो इस अधिनियम के अधीन संधारित आयुर्वेद नर्सिंग वृत्तिकों के रजिस्टर में इस रूप में रजिस्ट्रीकृत है;
- (घ) "आयुर्वेद नर्सिंग विषय" से अनुसूची में वर्णित कोई आयुर्वेद नर्सिंग विषय अभिप्रेत है;
- (ङ) "विहित" से इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (च) "अध्यक्ष" से परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (छ) "मान्यताप्राप्त संस्था" से आयुर्वेद नर्सिंग विषयों में से किसी भी विषय में शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान करने वाली और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन मान्यताप्राप्त कोई संस्था अभिप्रेत है;
- (ज) "मान्यताप्राप्त आयुर्वेद नर्सिंग अर्हता" से, किसी मान्यताप्राप्त संस्था द्वारा आयुर्वेद नर्सिंग विषयों में से किसी भी विषय में प्रदत्त कोई डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र या धारा 32 के अधीन मान्यताप्राप्त अर्हता के रूप में घोषित कोई अर्हता अभिप्रेत है;
- (झ) "रजिस्ट्रीकृत" से इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत अभिप्रेत है;
- (ञ) "रजिस्ट्रार" से धारा 15 के अधीन नियुक्त परिषद् का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है; और
- (ट) "उपाध्यक्ष" से परिषद् का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है।

अध्याय 2

राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद्

3. राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद् की स्थापना और निगमन.-

राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक परिषद् की स्थापना करेगी जिसका नाम "राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद्" होगा और ऐसी परिषद् एक निगमित निकाय होगी, उसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी, उसे जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित या धारित करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद ला सकेगी और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

4. राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद् का गठन और संरचना.-

परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(क) रजिस्ट्रीकृत आयुर्वेद नर्सिंग वृत्तिकों द्वारा उनमें से निर्वाचित छह सदस्य:

परन्तु परिषद् के प्रथम गठन पर राज्य सरकार, निर्वाचित सदस्यों के स्थान पर ऐसे व्यक्तियों को नामनिर्देशित कर सकेगी जो आयुर्वेद नर्सिंग वृत्तिकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए अर्हित हैं;

(ख) राज्य सरकार द्वारा, आयुर्वेद नर्सिंग विषयों में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से नामनिर्देशित किये गये पांच सदस्य:

परन्तु किसी भी एक आयुर्वेद नर्सिंग विषय में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से एक से अधिक सदस्य नामनिर्देशित नहीं किया जायेगा;

(ग) मान्यताप्राप्त संस्थाओं के अध्यापकों द्वारा उनमें से निर्वाचित तीन सदस्य:

परन्तु परिषद् के प्रथम गठन पर राज्य सरकार, निर्वाचित सदस्यों के स्थान पर ऐसे व्यक्तियों को, जो राज्य में आयुर्वेद नर्सिंग विषयों में शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं में अध्यापक हैं, नामनिर्देशित कर सकेगी;

(घ) संकायाध्यक्ष, आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी पदेन;

चिकित्सासंकाय, राजस्थान आयुर्वेद
विश्वविद्यालय, जोधपुर

- (ड) निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार पदेन;
(च) निदेशक, होम्योपैथी विभाग, राजस्थान सरकार पदेन;
(छ) निदेशक, यूनानी चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार पदेन;
(ज) रजिस्ट्रार, भारतीय औषध बोर्ड, राजस्थान राज्य पदेन;
(झ) रजिस्ट्रार, होम्योपैथी बोर्ड, राजस्थान राज्य पदेन:

परन्तु कोई भी व्यक्ति परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नामनिर्देशित किये जाने के लिए अर्हित नहीं होगा, यदि-

- (i) वह भारत का/की नागरिक नहीं है; या
- (ii) वह अनुन्मोचित दिवालिया है; या
- (iii) वह विकृतचित्त है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस रूप में घोषित किया हुआ है; या
- (iv) उसे नैतिक अधमता से अंतर्वलित किसी अपराध के लिए दण्डादिष्ट किया गया है; या
- (v) वह परिषद् का/की कर्मचारी है और उसको वेतन या मानदेय के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता है:

परन्तु यह और कि कोई भी व्यक्ति एक ही समय पर एक से अधिक हैसियत से सदस्य के रूप में कार्य नहीं करेगा।

5. परिषद् का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष.- परिषद् का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, परिषद् के सदस्यों द्वारा उनमें से निर्वाचित किया जायेगा:

परन्तु परिषद् के प्रथम गठन पर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य सरकार द्वारा परिषद् के सदस्यों में से नामनिर्देशित किये जायेंगे, जो तीन वर्ष के लिए या राज्य सरकार के प्रसादपर्यंत, जो भी पूर्वतर हो, अपना पद धारण करेंगे।

6. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के नामों का प्रकाशन.- परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और समस्त सदस्यों के नाम राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे।

7. निर्वाचनों का ढंग.- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर निर्वाचन विहित रीति से किया जायेगा, और जहां ऐसे किसी भी

निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद उद्भूत हो, वहां उसे राज्य सरकार को निर्देशित किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

8. पदावधि.- (1) परिषद् का पदेन सदस्य इस रूप में तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक वह उस पद को धारण करता है/करती है जिसके फलस्वरूप वह परिषद् का सदस्य/की सदस्या है।

(2) पदेन सदस्य से अन्यथा, परिषद् के सदस्य की पदावधि, उसके निर्वाचन या, यथास्थिति, नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की होगी किन्तु वह ऐसे सदस्य के रूप में पुनःनिर्वाचन या पुनःनामनिर्देशन के लिए पात्र होगा/होगी।

(3) परिषद् का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, उसके निर्वाचन की तारीख से तीन वर्ष के लिए या जब तक वह परिषद् का सदस्य बना रहता/ रहती है, जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा/करेगी किन्तु यदि वह परिषद् का सदस्य/की सदस्या है तो पुनःनिर्वाचन के लिए पात्र होगा/होगी।

(4) कोई निर्वाचित या नामनिर्देशित सदस्य या उपाध्यक्ष, परिषद् के अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा और अध्यक्ष, राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा/सकेगी।

(5) परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के बारे में राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा की जा सकेगी कि वह ऐसा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या, यथास्थिति, सदस्य नहीं रहा है, यदि-

- (क) वह अपना त्यागपत्र प्रस्तुत कर देता है/देती है, या
- (ख) उसकी मृत्यु हो जाती है, या
- (ग) वह लगातार एक वर्ष से अधिक भारत से अनुपस्थित रहा है/रही है, या
- (घ) वह परिषद् की इजाजत के बिना परिषद् की तीन क्रमवर्ती बैठकों से अनुपस्थित है, या
- (ङ) वह धारा 4 के प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट निरर्हताओं में से कोई निरर्हता उपगत कर लेता है/लेती है:

परन्तु खण्ड (घ) और (ङ) में वर्णित मामलों में से किसी भी मामले के संबंध में ऐसी कोई भी घोषणा तब तक नहीं की जायेगी जब

तक कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो।

(6) राज्य सरकार किसी भी समय, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी भी सदस्य को उसके पद से, उसको स्पष्टीकरण का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, किसी भी ऐसे कारण से जिसे राज्य सरकार लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला समझे, हटा सकेगी, और इस प्रकार हटाया गया सदस्य/हटायी गयी सदस्या उसके हटाये जाने की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निर्वाचित या नामनिर्देशित किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा/होगी।

9. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के पद की शर्तें.- परिषद् का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य, परिषद् से कोई वेतन या पारिश्रमिक प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा/होगी किन्तु उसको ऐसे क्षतिपूर्क भत्ते संदत्त किये जा सकेंगे, जो विनियमों द्वारा विहित किये जायें।

10. रिक्तियों का भरा जाना.- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के पद की कोई भी रिक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार यथाशक्य शीघ्र भरी जायेगी।

11. रिक्तियों का कार्यवाहियों और कृत्यों पर प्रभाव न होना.- परिषद् का कोई भी कृत्य या कार्यवाही मात्र परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के पद की किसी रिक्ति या, इस रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन या नामनिर्देशन में रही किसी भी त्रुटि या अनियमितता, जो सारवान् नहीं हो, के कारण ही अविधिमान्य नहीं समझी जायेगी।

12. परिषद् के कारबार का संचालन.- (1) परिषद्, अपने कारबार के संव्यवहार के प्रयोजन के लिए, इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों से सुसंगत विनियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाये गये विनियमों में निम्नलिखित समस्त या इनमें से किसी भी मामले के बारे में उपबंध किये जा सकेंगे, अर्थात्:-

- (क) बैठकों का समय और स्थान;
- (ख) सदस्यों को ऐसी बैठकों की सूचना जारी करना;
- (ग) ऐसी बैठकों में कारबार का संचालन;
- (घ) कारबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक गणपूर्ति; और

(ड) परिषद् के समक्ष के कारबार के किसी भाग के बारे में कार्यवाही करने के लिए समितियों की नियुक्ति।

13. परिषद् की शक्तियां और कृत्य.- (1) इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, परिषद् ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे-

- (क) आयुर्वेद नर्सिंग वृत्तिकों के रजिस्टर का संधारण करना;
- (ख) रजिस्ट्रार के विनिश्चयों के विरुद्ध अपीलों को ऐसी रीति से सुनना और विनिश्चित करना जो विनियमों द्वारा विहित की जाये;
- (ग) रजिस्ट्रीकृत आयुर्वेद नर्सिंग वृत्तिकों के वृत्तिक आचरण को नियमित करने के लिए विनियमों द्वारा सदाचार संहिता विहित करना;
- (घ) किसी रजिस्ट्रीकृत आयुर्वेद नर्सिंग वृत्तिक को धिग्दंडित करना, आयुर्वेद नर्सिंग वृत्तिकों के रजिस्टर से उसका नाम निलंबित करना या हटाना, या कोई भी ऐसी अन्य अनुशासनिक कार्रवाई करना जो परिषद् की राय में आवश्यक या समीचीन हो;
- (ङ) किसी सदस्य को, परिषद् की तीन क्रमवर्ती बैठकों से अनुपस्थित रहने के लिए अनुज्ञात करना;
- (च) नये आयुर्वेद नर्सिंग विषयों की स्थापना में नवाचार, अनुसंधान और विकास को प्रोन्नत करना;
- (छ) अनुसूची में नये आयुर्वेद नर्सिंग विषय सम्मिलित करने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करना;
- (ज) आयुर्वेद नर्सिंग शिक्षा को प्रोन्नत करने के लिए स्कीमें बनाना;
- (झ) आयुर्वेद नर्सिंग शिक्षा और आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा शिक्षा के बीच एक प्रभावी कड़ी प्रोन्नत करना और आयुर्वेद नर्सिंग विषयों में अनुसंधान और विकास को प्रोन्नत करना;

- (ज) आयुर्वेद नर्सिंग शिक्षा में पाठ्यक्रमों, पाठ्यचर्याओं, भौतिक और अनुदेश संबंधी सुविधाओं, कर्मचारिवृन्द-पैटर्न, कर्मचारिवृन्द की अर्हताओं, गुणात्मक अनुदेशन, मूल्यांकन और परीक्षाओं के लिए मानदंड और मानक अधिकथित करना;
- (ट) संस्थागत प्रभारों और अन्य फीसों के लिए मानदंड और मार्गदर्शक सिद्धांत नियत करना;
- (ठ) आयुर्वेद नर्सिंग विषयों में पाठ्यक्रम संचालित कर रही संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना;
- (ड) आयुर्वेद नर्सिंग शिक्षा प्रदान कर रही आयुर्वेद नर्सिंग संस्थाओं में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों का उपबंध करना;
- (ढ) किसी भी आयुर्वेद नर्सिंग संस्था का निरीक्षण करना या करवाना;
- (ण) स्तर की एकरूपता बनाये रखने के लिए आयुर्वेद नर्सिंग विषयों में परीक्षाओं के संचालन के लिए बोर्ड का गठन करना; और
- (त) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो नियमों द्वारा विहित किये जायें।

14. आयुर्वेद नर्सिंग विषयों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित करने की परिषद् की शक्ति.- (1) परिषद्, आयुर्वेद नर्सिंग विषयों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अपनी बैठकों में आमंत्रित कर सकेगी। इस प्रकार आमंत्रित किसी भी व्यक्ति को बैठक में होने वाली चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(2) परिषद्, उप-धारा (1) के अधीन आमंत्रित व्यक्ति को ऐसे क्षतिपूरक भत्ते संदत्त कर सकेगी जो धारा 9 के उपबंधों के अधीन परिषद् के किसी सदस्य को अनुज्ञेय हैं।

15. रजिस्ट्रार और कर्मचारिवृन्द.- (1) राज्य सरकार, राज्य सेवा के किसी अधिकारी को परिषद् का रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी, जो परिषद् के सचिव के रूप में कार्य करेगा/करेगी और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा/करेगी जो उसे इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या

विनियमों द्वारा समनुदेशित किये गये हैं, या जो उसे परिषद् के किसी आदेश द्वारा विशेष रूप से समनुदेशित किये जायें।

(2) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से परिषद्, ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकेगी, जो इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए वह आवश्यक समझे।

(3) परिषद् के अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो उसके द्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अवधारित की जायें।

(4) परिषद् का रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी और कर्मचारी, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

अध्याय 3

आयुर्वेद नर्सिंग वृत्तिकों का रजिस्ट्रीकरण

16. रजिस्ट्रारों के संधारण के लिए आदेश.- (1) परिषद्, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् सुविधापूर्वक यथा शीघ्र, और अवसर की अपेक्षा के अनुसार समय-समय पर, आयुर्वेद नर्सिंग वृत्तिकों के ऐसे रजिस्ट्रार के, जो पृथक्-पृथक् भागों में व्यवस्थित होगा जिसमें रजिस्ट्रीकृत किये जाने वाले व्यक्तियों को उनकी अर्हताओं के अनुसार वर्गीकृत किया जायेगा, संधारण को विनियमित करने के आदेश देगी।

(2) रजिस्ट्रार, परिषद् द्वारा विहित प्ररूप में रखे जायेंगे।

17. रजिस्ट्रीकृत किये जाने के हकदार व्यक्ति.- मान्यताप्राप्त आयुर्वेद नर्सिंग अर्हता धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति, आयुर्वेद नर्सिंग वृत्तिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किये जाने का हकदार होगा।

18. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन.- धारा 17 में वर्णित व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, विहित प्ररूप में और विहित फीस के साथ रजिस्ट्रार को किया जायेगा।

19. रजिस्ट्रार द्वारा आवेदनों का निपटारा.- (1) यदि रजिस्ट्रार का, विहित रीति से ऐसी जांच, जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि आवेदक धारा 17 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किये जाने का हकदार है तो वह समुचित रजिस्ट्रार में उसका नाम प्रविष्ट करेगा/करेगी।

(2) यदि रजिस्ट्रार का उपर्युक्त समाधान नहीं होता है तो वह रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन को नामंजूर करते हुए आदेश करेगा/करेगी और उसके साथ संदत्त फीस प्रतिदत्त करेगा/करेगी।

20. रजिस्ट्रारों का संधारण.- (1) रजिस्ट्रार, इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों और विनियमों और परिषद् द्वारा धारा 16 के अधीन किये गये आदेशों के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रार रखेगा और संधारित करेगा और रजिस्ट्रीकृत पतों और नियुक्तियों में, रजिस्ट्रीकृत अर्हताओं में और रजिस्ट्रीकृत आयुर्वेद नर्सिंग वृत्तिकों के वर्गीकरण में, आवश्यक परिवर्तन करेगा और किसी भी आयुर्वेद नर्सिंग वृत्तिक का नाम उसमें से मिटा सकेगा/सकेगी।

(2) रजिस्ट्रार, उप-धारा (1) द्वारा उस पर अधिरोपित कर्तव्यों के निष्पादन के लिए, ऐसे किसी व्यक्ति को, जो आयुर्वेद नर्सिंग वृत्तिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, यह पूछते हुए कि आया उसने व्यवसाय छोड़ दिया है या आया उसके निवास या नियुक्ति-स्थान में परिवर्तन हो गया है, उसे संबोधित एक रजिस्टर्ड पत्र उसके रजिस्ट्रीकृत पते पर या नियुक्ति स्थान के पते पर डाक द्वारा भेज सकेगा/सकेगी; और यदि ऐसे किसी पत्र का उत्तर, उसे प्रेषित करने की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर-भीतर प्राप्त न हो तो रजिस्ट्रार ऐसे व्यक्ति का नाम रजिस्ट्रार में से मिटा सकेगा/सकेगी:

परन्तु इस उप-धारा के अधीन मिटाया गया कोई भी नाम, परिषद् के निदेश के अधीन, उक्त रजिस्ट्रार में पुनः प्रविष्ट किया जा सकेगा/सकेगी।

21. मृत्यु होने पर नाम मिटाना.- जब कभी किसी रजिस्ट्रीकृत आयुर्वेद नर्सिंग वृत्तिक की मृत्यु के संबंध में कोई विश्वसनीय सूचना प्राप्त होती है तो रजिस्ट्रार ऐसी मृत्यु के तथ्य के बारे में अपना समाधान कर लेने के पश्चात्, मृतक व्यक्ति का नाम रजिस्ट्रार में से मिटा सकेगा/सकेगी।

22. कपटपूर्ण और गलत प्रविष्टियां मिटाना.- रजिस्ट्रारों में की ऐसी कोई भी प्रविष्टि, जिसे रजिस्ट्रार के समाधानप्रद रूप में कपटपूर्वक या गलत रूप से किया जाना साबित कर दिया जाता है, रजिस्ट्रार द्वारा लेखबद्ध आदेश से रजिस्ट्रार में से मिटायी जा सकेगी।

23. रजिस्ट्रीकरण इत्यादि का प्रतिषेध.- (1) परिषद्, निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति के आयुर्वेद नर्सिंग वृत्तिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रतिषेध कर सकेगी और, यदि ऐसा व्यक्ति पहले से ही इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत है तो उसका नाम रजिस्टर में से हटाने का निदेश दे सकेगी, अर्थात्:-

- (क) उसे ऐसे किसी भी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें, परिषद् की राय में, कोई ऐसा चारित्रिक दोष विवक्षित है, जिसके कारण वह आयुर्वेद नर्सिंग वृत्तिक के लिए अयोग्य हो गया है; या
- (ख) परिषद् द्वारा उसे ऐसे किसी अपराध का दोषी पाया गया है जो परिषद् की राय में, ऐसी किसी वृत्तिक अक्षमता, उपेक्षा या उसके कर्तव्य के पालन में सामान्यतया सम्मिलित विनियमों का उल्लंघन दर्शित करता है; या
- (ग) परिषद् द्वारा उसे वृत्तिक अवचार या किसी वृत्तिक दृष्टि से कुत्सित आचरण का दोषी पाया गया है; या
- (घ) उसके आचरण में ऐसे दोष हैं, जिनके कारण परिषद् की राय में, रजिस्टर में उसके नाम की प्रविष्टि करना या उसका नाम बनाये रखना अवांछनीय होगा:

परन्तु परिषद् द्वारा इस धारा के अधीन तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी जब तक कि ऐसी सम्यक् जांच के पश्चात्, जिसमें संबंधित व्यक्ति को अपनी प्रतिरक्षा में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया गया हो, संबंधित व्यक्ति खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) या खण्ड (घ) में यथा विनिर्दिष्ट रूप से निरर्हित नहीं पाया गया हो।

(2) परिषद् के ऐसे निदेश से, जो बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से दिया जाये, उप-धारा (1) के अधीन रजिस्टर से हटाया गया कोई भी नाम बाद में पुनः प्रविष्टि किया जा सकेगा, और उप-धारा (1) के अधीन पारित रजिस्ट्रीकरण के प्रतिषेध का कोई भी आदेश वापस लिया जा सकेगा।

24. रजिस्टर में नयी उपाधियाँ और अर्हताओं की प्रविष्टि.- (1) यदि कोई व्यक्ति जिसका नाम इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है, ऐसी उपाधि या अर्हता जिसके संबंध में उसे रजिस्ट्रीकृत

किया गया है, से भिन्न कोई उपाधि या अर्हता प्राप्त करता है तो वह विहित फीस के संदाय पर रजिस्टर में अपने नाम के आगे ऐसी अन्य उपाधि या अर्हता संबंधी प्रविष्टि या तो पहले की गयी प्रविष्टि के प्रतिस्थापन में या अभिवर्धन के रूप में करवाने का हकदार होगा, और रजिस्ट्रार को उसके लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार, ऐसी जांच जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात्, या तो आवेदित प्रविष्टि कर सकेगा या लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से आवेदन को नामंजूर कर सकेगा।

25. रजिस्ट्रार के आदेशों और विनिश्चयों की अपील.- (1) धारा 19 या धारा 20 या धारा 21 या धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रार के किसी आदेश या विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश या विनिश्चय के तीस दिवस के भीतर-भीतर परिषद् को अपील कर सकेगा।

(2) ऐसी प्रत्येक अपील विहित रीति से सुनी और निपटायी जायेगी।

26. परिषद् के आदेशों की अपील.- धारा 20 की उप-धारा (2) के परन्तुक या धारा 25 के अधीन परिषद् के किसी आदेश या विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश या विनिश्चय की तारीख से तीन मास के भीतर-भीतर, राज्य सरकार को अपील कर सकेगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

27. रजिस्ट्रीकृत आयुर्वेद नर्सिंग वृत्तिकों की वार्षिक सूचियों की तैयारी, प्रकाशन और उपयोग.- (1) रजिस्ट्रार, प्रत्येक वर्ष, परिषद् द्वारा इस निमित्त नियत की जाने वाली तारीख को या उसके पूर्व समस्त रजिस्ट्रीकृत आयुर्वेद नर्सिंग वृत्तिकों की सूचियां विहित प्ररूप में और विहित विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए विहित रीति से तैयार, मुद्रित और प्रकाशित करवायेगा।

(2) प्रत्येक कार्यवाही में यह उपधारणा की जायेगी कि कोई व्यक्ति जिसका नाम उप-धारा (1) के अधीन प्रकाशित नवीनतम सूचियों में प्रविष्ट है, एक रजिस्ट्रीकृत आयुर्वेद नर्सिंग वृत्तिक है:

परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति के मामले में, जिसका नाम उप-धारा (1) के अधीन किसी सूची के प्रकाशन के पश्चात् और तदधीन नयी सूची

के प्रकाशन के पूर्व किसी रजिस्टर में प्रविष्ट कर दिया गया हो, ऐसी प्रविष्टि की रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणित प्रति, इस बात का साक्ष्य होगी कि ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है।

अध्याय 4

संस्थाओं की मान्यता

28. संस्थाओं की मान्यता.- (1) कोई भी व्यक्ति, परिषद् की मान्यता के बिना किसी भी आयुर्वेद नर्सिंग संस्था की स्थापना या कोई भी मान्यताप्राप्त आयुर्वेद नर्सिंग अर्हता प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए आयुर्वेद नर्सिंग विषयों में किसी भी पाठ्यक्रम का संचालन नहीं करेगा।

(2) किसी आयुर्वेद नर्सिंग संस्था की मान्यता के लिए आवेदन रजिस्ट्रार को ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस के साथ किया जायेगा, जो विहित की जाये।

(3) परिषद्, यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि मान्यता प्रदान की जाये या नहीं, इतने निरीक्षक, चाहे परिषद् के सदस्यों में से या अन्यथा, नियुक्त करके ऐसी जांच करेगी जो वह आवश्यक समझे, और आदेश द्वारा, मान्यता प्रदान करेगी, या मान्यता के आवेदन को नामंजूर करेगी।

(4) इस अधिनियम के अधीन केवल उन्हीं शैक्षिक या प्रशिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान की जायेगी जो इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा बनाये गये विनियमों द्वारा नियत मानकों के अनुरूप हों।

(5) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को आयुर्वेद नर्सिंग पाठ्यक्रमों का संचालन कर रही समस्त संस्थाएं, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास के भीतर-भीतर मान्यता के लिए आवेदन करेंगी और मान्यता प्राप्त करेंगी:

परन्तु यदि इस उप-धारा के अधीन मान्यता के लिए आवेदन करने वाली संस्था परिषद् द्वारा इस संबंध में नियत मानकों के अनुरूप नहीं है तो उस संस्था को अस्थायी मान्यता इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रदान की जा सकेगी कि परिषद् द्वारा नियत मानकों के अनुसार

सुविधाएं, अस्थायी मान्यता प्रदान करने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर उपलब्ध करवा दी जायेंगी।

(6) यदि संस्था, उप-धारा (5) के परंतुक में विनिर्दिष्ट शर्त को उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर पूर्ण करने में विफल रहती है तो उस उप-धारा के अधीन प्रदत्त अस्थायी मान्यता तत्काल वापस हो जायेगी।

29. मान्यता की वापसी.- परिषद्, ऐसे कारणों से, जिन्हें लेखबद्ध किया जायेगा और संबंधित संस्था के शासी निकाय या प्राधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् किसी संस्था की मान्यता तुरंत प्रभाव से वापस ले सकेगी।

30. राज्य सरकार को अपील.- धारा 28 के अधीन किसी भी संस्था को मान्यता प्रदान करने या मान्यता प्रदान करने से इंकार करने या धारा 29 के अधीन ऐसी मान्यता वापस लेने के परिषद् के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर-भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

31. संस्थाओं आदि से सूचना की अपेक्षा करने की परिषद् की शक्ति.- (1) परिषद् को किसी भी मान्यताप्राप्त संस्था के शासी निकाय या प्राधिकारी से-

- (क) ऐसी रिपोर्टें, विवरणियां या अन्य सूचना, जो परिषद् को संस्था या उसमें दी जाने वाली शिक्षा या प्रशिक्षण की दक्षता का निर्णयन करने के लिए समर्थ बनाने के लिए अपेक्षित हो, प्रस्तुत करने की; और
- (ख) ऐसी किसी भी संस्था द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में परिषद् के ऐसे किसी सदस्य को, जिसे परिषद् द्वारा इस निमित्त प्रतिनियुक्त किया गया है, उपस्थित रहने हेतु समर्थ बनाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने की,

अपेक्षा करने की शक्ति होगी।

(2) परिषद् को ऐसी किसी भी संस्था का निरीक्षण करने की शक्ति होगी और इस प्रयोजन के लिए परिषद् अपने तीन से अन्यून और

पांच से अनधिक सदस्यों की एक समिति, उक्त संस्था का निरीक्षण करने और उसके संबंध में परिषद् को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त कर सकेगी।

अध्याय 5

कतिपय अर्हताओं की मान्यता

32. उन राज्यक्षेत्रों से बाहर प्रदान की गयी अर्हताएं जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है.- परिषद्, यदि उसका समाधान हो जाता है कि राजस्थान राज्य के राज्यक्षेत्र के बाहर किसी प्राधिकारी द्वारा आयुर्वेद नर्सिंग विषयों में प्रदान की गयी कोई अर्हता, अपेक्षित कौशल और ज्ञान की पर्याप्त प्रतिभूति प्रदान करती है तो वह ऐसी अर्हता को, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, मान्यताप्राप्त अर्हता घोषित कर सकेगी और उसे पर्याप्त प्रतीत होने वाले कारणों से किसी भी समय घोषणा कर सकेगी कि ऐसी अर्हता, ऐसी अतिरिक्त शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जो परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, तब ही मान्यताप्राप्त समझी जायेगी जब वह केवल विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व या पश्चात् प्रदान की गयी हो:

परन्तु भारत के नागरिक के सिवाय, ऐसी अर्हता रखने वाला कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए तब तक अर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक कि ऐसे राज्य या देश, जिसमें अर्हता प्रदान की गयी है, की विधि और प्रथा द्वारा, ऐसी अर्हता धारण करने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को आयुर्वेद नर्सिंग वृत्ति में प्रवेश करने और व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया हो।

33. घोषणाओं का ढंग.- धारा 32 के अधीन घोषणाएं, परिषद् की बैठक में संकल्प पारित करके की जायेंगी और राजपत्र में उनके प्रकाशित होते ही वे प्रभावी हो जायेंगी।

अध्याय 6

वित्त

34. फीसों का मापमान.- (1) परिषद्, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों और

विनियमों में उपबंधित सभी विषयों और कार्यवाहियों के संबंध में संदेय फीसों का मापमान विहित कर सकेगी और उनके संदाय का ढंग उपबंधित कर सकेगी।

(2) ऐसी फीसों का उपयोजन, इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के प्रयोजन के लिए किया जायेगा।

35. परिषद् की निधि.- (1) परिषद् एक निधि की स्थापना करेगी जिसका नाम परिषद् की निधि होगा।

(2) निम्नलिखित परिषद् की निधि के भाग होंगे, या उसमें संदत किये जायेंगे, अर्थात्:-

- (क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा दिया गया कोई भी अंशदान या अनुदान;
- (ख) फीसों और जुर्मानों से आय को सम्मिलित करते हुए, समस्त स्रोतों से परिषद् की आय;
- (ग) दान, विन्यास और अन्य अनुदान, यदि कोई हों; और
- (घ) परिषद् द्वारा प्राप्त कोई अन्य राशि।

(3) परिषद् की निधि का प्रबंध और प्रशासन विहित रीति से किया जायेगा।

(4) परिषद् की निधि का उपयोजन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए होगा, अर्थात्:-

- (क) परिषद् द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपगत किये गये ऋणों के प्रतिसंदाय के लिए;
- (ख) ऐसे किसी वाद या विधिक कार्यवाहियों के व्ययों के लिए, जिनमें परिषद् एक पक्षकार है;
- (ग) परिषद् के अधिकारियों और कर्मचारिवृन्दों के वेतन और भत्तों के संदाय के लिए;
- (घ) परिषद् के पदाधिकारियों के भत्तों के संदाय के लिए;
- (ङ) परिषद् द्वारा, इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने में उपगत किन्हीं भी व्ययों के संदाय के लिए; और
- (च) आयुर्वेद नर्सिंग शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के प्रोन्नयन और विकास के लिए उपगत कोई भी अन्य

व्यय, जिनका परिषद् द्वारा आयुर्वेद नर्सिंग शिक्षा और वृत्ति के सामान्य हित में होना घोषित किया जाये।

36. लेखे और संपरीक्षा.- (1) परिषद् के लेखे, ऐसी तारीख से पूर्व और ऐसे अंतरालों पर और ऐसी रीति से तैयार किये जायेंगे, जो विहित की जाये।

(2) परिषद् के लेखे, ऐसी रीति से और ऐसे प्राधिकारी द्वारा संपरीक्षित किये जायेंगे, जैसाकि विहित किया जाये।

(3) परिषद् के लेखे संपरीक्षित और परिषद् द्वारा अनुमोदित होते ही, परिषद् इसकी एक प्रति राज्य सरकार को प्रेषित करेगी।

37. बजट.- (1) रजिस्ट्रार, ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाये, आगामी वित्तीय वर्ष के संबंध में, अनुमानित प्राप्तियां और व्यय दर्शाते हुए, बजट तैयार करायेगा और उसको परिषद् के समक्ष ऐसे समय पर और ऐसी रीति से रखेगा जो विहित की जाये।

(2) परिषद्, ऐसी रकमों को, जो आवश्यक हों, एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में और ऐसे शीर्षों या लघु शीर्षों के बीच पुनर्विनियोजित करने के लिए सक्षम होगी।

(3) परिषद्, जब कभी अपेक्षित हो, ऐसे प्ररूप में और ऐसी तारीख तक, जो विहित की जाये, पूरक बजट पारित कर सकेगी।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

38. इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय व्यवसाय का प्रतिषेध.- राज्य में कोई भी व्यक्ति, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आयुर्वेद नर्सिंग वृत्तिक के रूप में तब तक व्यवसाय नहीं करेगा/करेगी या स्वयं को ऐसे रूप में प्रकट नहीं करेगा/करेगी जब तक कि उसे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया हो और राज्य में कोई भी रजिस्ट्रीकृत आयुर्वेद नर्सिंग वृत्तिक, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उस आयुर्वेद नर्सिंग विषय में जिसमें वह मान्यताप्राप्त अर्हता रखता है/रखती है, द्वारा आवृत्त विशेषज्ञता क्षेत्र से अन्यथा किसी भी

विशेषज्ञता क्षेत्र में आयुर्वेद नर्सिंग वृत्तिक के रूप में व्यवसाय नहीं करेगा या स्वयं को ऐसे प्रकट नहीं करेगा।

39. अपराध.- (1) कोई भी व्यक्ति, जो-

- (क) इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के अधीन उसको या किसी अन्य व्यक्ति को जारी किये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का बेईमानीपूर्वक उपयोग करता है; या
- (ख) लिखित रूप में या अन्यथा कोई मिथ्या या कपटपूर्ण घोषणा, प्रमाणपत्र या अभ्यावेदन करके या प्रस्तुत करके या करवा कर या प्रस्तुत करवा कर इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करता है या प्राप्त करने का प्रयत्न करता है; या
- (ग) धारा 24 के अधीन नयी उपाधि या अर्हता की प्रविष्टि कपटपूर्वक प्राप्त करता है या प्राप्त करने का प्रयत्न करता है; या
- (घ) इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के अधीन संधारित किये गये रजिस्ट्रों में या जारी किये गये प्रमाणपत्रों में जानबूझकर कोई मिथ्याकरण करता है या करवाता है; या
- (ङ) किसी भी मान्यताप्राप्त संस्था का सचिव, प्रबंधक या कोई अन्य अधिकारी होते हुए इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन में किसी व्यक्ति को प्रमाणपत्र जारी करता है या प्रमाणपत्र जारी किया जाना प्राधिकृत करता है; या
- (च) धारा 38 के उपबंधों का उल्लंघन करता है,

दोषसिद्धि पर, ऐसे कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, या ऐसे जुर्माने से, जो दो लाख रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा।

(2) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबंधों में से किसी उपबंध का उल्लंघन करता है और यदि ऐसा उल्लंघन उप-धारा (1) के उपबंधों के अन्तर्गत नहीं आता है तो वह दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

40. अपराध का प्रसंज्ञान.- कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का प्रसंज्ञान, रजिस्ट्रार द्वारा परिषद् की पूर्व मंजूरी से किये गये परिवाद के सिवाय नहीं लेगा।

41. राज्य सरकार का नियंत्रण.- यदि किसी भी समय राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि परिषद्, इस अधिनियम के द्वारा उसे प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करने में विफल रही है या परिषद् ने उसका अतिक्रमण या दुरुपयोग किया है, या उस पर अधिरोपित कर्तव्य का पालन करने में विफल रही है तो राज्य सरकार, यदि वह ऐसी विफलता, अतिक्रमण या दुरुपयोग को गंभीर प्रकृति का समझती है तो उसकी विशिष्टियां परिषद् को अधिसूचित कर सकेगी और, यदि परिषद् ऐसी विफलता, अतिक्रमण या दुरुपयोग का उपचार, ऐसे समय के भीतर-भीतर, जो राज्य सरकार द्वारा नियत किया जाये, करने में विफल रहती है तो परिषद् का विघटन कर सकेगी और परिषद् की समस्त या उनमें से किन्हीं भी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन ऐसी एजेंसी द्वारा और छह मास से अनधिक की ऐसी कालावधि के लिए, जो वह उचित समझे, करवा सकेगी:

परन्तु राज्य सरकार, परिषद् के विघटन की तारीख से छह मास की समाप्ति के पूर्व उसका पुनर्गठन करेगी।

42. नियम और विनियम.- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को साधारणतया कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित मामलों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:-

- (क) परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर निर्वाचन की रीति विहित करना;
- (ख) धारा 13 की उप-धारा (2) के खण्ड (त) के अधीन परिषद् के अन्य कृत्य विहित करना;
- (ग) वह रीति, जिससे परिषद् की निधि का प्रबंध और प्रशासन किया जायेगा, विहित करना;
- (घ) वह तारीख जिसके पूर्व, वे अंतराल जिन पर, और वह रीति जिससे परिषद् के लेखे तैयार किये जायेंगे, विहित करना;
- (ङ) वह रीति जिससे और वह प्राधिकारी, जिसके द्वारा परिषद् के लेखे संपरीक्षित किये जायेंगे, विहित करना;
- (च) वह प्ररूप, जिसमें परिषद् का बजट तैयार किया जायेगा और वह समय और रीति जिससे बजट, परिषद् के समक्ष रखा जायेगा, विहित करना;
- (छ) वह प्ररूप जिसमें, और वह तारीख जिस तक परिषद् का पूरक बजट, यदि आवश्यक हो, पारित किया जायेगा, विहित करना; और
- (ज) ऐसे मामलों के लिए उपबंध करना जिनके बारे में इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा उपबंध किया जाना अपेक्षित है या किया जा सकता है।

(3) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, परिषद्, राज्य सरकार के अनुमोदन से निम्नलिखित मामलों के लिए उपबंध करने के लिए विनियम बना सकेगी, अर्थात्:-

- (क) धारा 9 के अधीन क्षतिपूरक भत्ते विहित करना;
- (ख) धारा 12 की उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट मामलों को सम्मिलित करते हुए, परिषद् द्वारा या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति द्वारा कारबार के संव्यवहार को विनियमित करना;
- (ग) आयुर्वेद नर्सिंग वृत्तिकों के रजिस्ट्रों के प्ररूप विहित करना;

- (घ) रजिस्ट्रीकृत आयुर्वेद नर्सिंग वृत्तिकों की वार्षिक सूचियों का प्ररूप और उनके प्रकाशन की रीति विहित करना;
- (ङ) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किये जाने के लिए अपेक्षित आवेदनों के प्ररूप विहित करना;
- (च) परिषद् या उसकी समिति या रजिस्ट्रार द्वारा इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबंधों के अधीन किये जाने के लिए अपेक्षित किसी जांच या निरीक्षण की रीति और प्रक्रिया विहित करना;
- (छ) इस अधिनियम के अधीन अपीलों का प्ररूप और प्रक्रिया विहित करना;
- (ज) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों और विनियमों में उपबंधित सभी मामलों और प्रक्रियाओं के संबंध में संदेय फीसों का मापमान और उनके संदाय का ढंग विहित करना;
- (झ) परिषद् के कर्मचारिवृन्दों की संख्या अवधारित करना;
- (ञ) परिषद् के अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन अवधारित करना और सेवा की अन्य शर्तें अधिकथित करना;
- (ट) रजिस्ट्रार और अन्य कर्मचारिवृन्दों द्वारा पालन किये जाने वाले कर्तव्य विनिर्दिष्ट करना;
- (ठ) रजिस्ट्रीकृत आयुर्वेद नर्सिंग वृत्तिकों द्वारा पालन की जाने वाली सदाचार संहिता विहित करना;
- (ड) इस अधिनियम के अधीन किसी संस्था को मान्यता प्रदान करने के लिए मानदंड और मानक विहित करना; और
- (ढ) किसी ऐसे अन्य मामले को विनियमित करना जो इस अधिनियम के अधीन विनियमों द्वारा विनियमित किया जाना अपेक्षित है या जो परिषद् की राय में, परिषद् के दक्षतापूर्ण कार्यकरण के हित में विनियमों द्वारा उपबंधित किया जाना आवश्यक है।

(4) उप-धारा (3) के अधीन बनाये गये विनियम राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे और ऐसे प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

43. नियमों और विनियमों का विधान सभा के समक्ष रखा जाना.- इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम और विनियम उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों या विनियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम या विनियम नहीं बनाये जाने चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसे नियम या विनियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

44. अनुसूची संशोधित करने की राज्य सरकार की शक्ति.- राज्य सरकार, इस निमित्त परिषद् की सिफारिश पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में नये आयुर्वेद नर्सिंग विषय को अन्तःस्थापित करके उसे संशोधित कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को और से अनुसूची तदनुसार संशोधित हो जायेगी।

45. दावों और विधिक कार्यवाहियों का वर्जन.- इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा सद्भावनापूर्वक किये गये किसी कार्य के संबंध में उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई दावा या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

अनुसूची

(धारा 2 (घ) देखिये)

आयुर्वेद नर्सिंग विषयों की सूची

1. शरीर रचना व क्रिया (शारीर);
2. परिचर्या का मूल सिद्धान्त/परिचर्या का इतिहास;

3. स्वस्थवृत्त;
4. औषध द्रव्य परिचय/द्रव्यगुण;
5. रस-शाला/रस-शास्त्र भैषज्य कल्पना;
6. विकृति विज्ञान;
7. रोग निदान;
8. कम्प्यूटर शिक्षा और दृश्य-श्रव्य माध्यम;
9. चिकित्सा परिचर्या/चिकित्सा;
10. शल्य-शालाक्य परिचर्या/शल्य-शालाक्य;
11. स्त्री प्रसूति रोग परिचर्या/प्रसूति स्त्री रोग;
12. बाल स्वास्थ्य परिचर्या/कौमार भृत्य;
13. पंचकर्म परिचर्या/पंचकर्म और प्राकृतिक चिकित्सा;
14. रोगी परिचर्या;
15. अगद तंत्र और आत्यायिक चिकित्सा;
16. मनोस्वास्थ्य परिचर्या ।

प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION**

Jaipur, May 16, 2012

No. F. 2 (24) Vidhi/2/2012.—In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Ayurved Nursing Parisad Adhinyam, 2012 (2012 Ka Adhinyam Sankhyank 17):—

(Authorized English Translation)

**THE RAJASTHAN AYURVED NURSING COUNCIL
ACT, 2012
(Act No. 17 of 2012)**

[Received the assent of the Governor on the 15th day of May, 2012]

An

Act

to provide for the constitution of a Ayurved Nursing Council, regulation of Ayurved Nursing Profession and recognition of institutions imparting education or training in Ayurved Nursing subjects in the State and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-third Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER - I

Preliminary

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Ayurved Nursing Council Act, 2012.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force at once.

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Council" means the Rajasthan Ayurved Nursing Council established under section 3;

(b) "member" means a member of the Council;

(c) "Nurse" means a person who holds recognized Ayurved Nursing qualification and is registered as such in the Register of Ayurved Nursing Professionals maintained under this Act;

(d) "Ayurved Nursing subject" means a Ayurved Nursing subject mentioned in the Schedule;

(e) "prescribed" means prescribed by this Act or rules or regulations made under this Act;

- (f) "President" means the President of the Council;
- (g) "recognized institution" means an institution imparting education or training in any of the Ayurved Nursing subjects and recognized under the provisions of this Act;
- (h) "recognized Ayurved Nursing qualification" means a degree, diploma or a certificate in any of the Ayurved Nursing subjects granted by a recognized institution or a qualification declared to be a recognized qualification under section 32;
- (i) "registered" means registered in accordance with the provisions of this Act and the rules and regulations made thereunder;
- (j) "Registrar" means the Registrar of the Council appointed under section 15; and
- (k) "Vice-President" means the Vice-President of the Council.

CHAPTER - II

Rajasthan Ayurved Nursing Council

3. Establishment and incorporation of the Rajasthan Ayurved Nursing Council.- The State Government shall, by notification in the Official Gazette, establish a Council to be known as "the Rajasthan Ayurved Nursing Council" for the purpose of carrying out the provisions of this Act and such Council shall be a body corporate, having perpetual succession and a common seal, with power to acquire or hold property both movable and immovable and shall by the said name sue and be sued.

4. Constitution and composition of Rajasthan Ayurved Nursing Council.- The Council shall consist of the following members, namely:-

- (a) six members elected by registered Ayurved Nursing

Professionals from amongst themselves:

Provided that at the first constitution of the Council, the State Government may nominate, in place of elected members, such persons as are qualified for registration as Ayurved Nursing Professionals;

- (b) five members nominated by the State Government from amongst the persons having special knowledge in the Ayurved Nursing subjects:

Provided that not more than one member shall be nominated from amongst the persons having special knowledge in any one Ayurved Nursing subject;

- (c) three members elected by the teachers of the recognized institutions from amongst themselves:

Provided that at the first constitution of the Council, the State Government may nominate, in place of elected members, such persons who are teachers in institutions imparting education or training in Ayurved Nursing subjects in the State;

- (d) the Dean, Faculty of Ayurved, Homoeopathy and Unani, Rajasthan Ayurved University, Jodhpur *ex-officio*;
- (e) the Director, Ayurved Department, Government of Rajasthan *ex-officio*;
- (f) the Director, Homoeopathy Department, Government of Rajasthan *ex-officio*;
- (g) the Director, Unani Department, Government of Rajasthan *ex-officio*;
- (h) the Registrar, Indian Medicine Board, State of Rajasthan *ex-officio*;
- (i) the Registrar, Homoeopathy Board, State of Rajasthan *ex-officio*;

Provided that a person shall not be qualified for being elected or nominated as a member of the Council, if –

- (i) he/she is not a citizen of India; or
- (ii) he/she is an undischarged insolvent; or
- (iii) he/she is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- (iv) he/she has been sentenced for any offence involving moral turpitude; or
- (v) he/she is an employee of the Council and is remunerated by salary or honorarium:

Provided further that no person shall at the same time serve as a member in more than one capacity.

5. President and Vice-President of the Council.- The President and the Vice-President of the Council shall be elected by the members of the council from among themselves:

Provided that at the first constitution of the Council, the President and the Vice-President shall be nominated from amongst the members of the Council by the State Government, who shall hold office for three years or during the pleasure of the State Government, whichever is earlier.

6. Publication of names of the President, Vice-President and members.- The names of the President, Vice-President and all the members of the Council shall be published in the Official Gazette.

7. Mode of elections.- Elections to the offices of the President, Vice-President and the members shall be conducted in the prescribed manner, and where any dispute arises regarding any such election, it shall be referred to the State Government whose decision shall be final.

8. Term of office.- (1) An *ex-officio* member of the Council shall continue as such so long as he/she holds the office by virtue of which he/she is a member of the Council.

(2) The term of office of a member of the Council, other than the *ex-officio* member, shall be three years from the date of his/her election or nomination, as the case may be, but he/she shall be eligible for re-election or re-nomination as such member.

(3) The President or the Vice-President of the Council shall hold office for three years from the date of his/her election or so long as he/she is a member of the Council, whichever is earlier but he/she shall be eligible for re-election if he/she is a member of the Council.

(4) An elected or a nominated member or the Vice-President may, by writing under his hand addressed to the President of the Council, and the President may, by writing under his hand addressed to the Governor, resign his/her office.

(5) The President, Vice-President or a member of the Council may be declared by the State Government, by notification in the Official Gazette, to have ceased to be such President, Vice-President or, as the case may be, member, if he/she-

- (a) submits his/her resignation, or
- (b) dies, or
- (c) has been absent out of India for more than one year continuously, or
- (d) is absent from three consecutive meetings of the Council without the leave of the Council, or
- (e) has incurred any of the disqualifications specified in the first proviso to section 4:

Provided that no such declaration shall be made in respect of any of the matters mentioned in clauses (d) and (e), unless the person concerned has been given a reasonable opportunity of being heard.

(6) The State Government may at any time, by notification in the Official Gazette, remove the President, Vice-President or any member of the Council from his office, after affording him/her a reasonable opportunity of explanation, for any reason which the State Government may deem to be affecting the public interest adversely, and the member so removed shall not be eligible for being elected or nominated for a period of three years from the date of his/her removal.

9. Conditions of the office of the President, Vice-

President or the member.-The President, Vice-President or a member of the Council shall not be entitled to receive any salary or remuneration from the Council but he/she may be paid such compensatory allowances as may be prescribed by regulations.

10. Filling up of vacancies.- Any vacancy occurred in the office of the President, Vice-President or a member shall be filled up, as soon as may be, in accordance with the provisions of this Act.

11. Vacancy not to affect proceedings and acts.- No act or proceedings of the Council shall be deemed to be invalid merely by reason of any vacancy or of any defect or irregularity, not affecting the substance, in the election or nomination of a person as the President, Vice-President or a member of the Council.

12. Conduct of the business of the Council.- (1) For the purpose of transaction of its business, the Council may make regulations consistent with this Act and the rules made thereunder.

(2) The regulations made under this section may provide for all or any of the following matters, namely:-

- (a) the time and place of its meetings;
- (b) the issue of notices of such meetings to the members;
- (c) the conduct of business at such meetings;
- (d) the quorum necessary for the transaction of business; and
- (e) the appointment of committees to deal with any part of business before the Council.

13. Powers and functions of the Council.- (1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the Council shall exercise such powers and perform such functions as may be necessary for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the powers and the functions of the Council shall be-

- (a) to maintain the Register of Ayurved Nursing Professionals;

- (b) to hear and decide appeals from the decision of the Registrar in such manner as may be prescribed by regulations;
- (c) to prescribe by regulations a code of ethics for regulating the professional conduct of registered Ayurved Nursing Professionals;
- (d) to reprimand a registered Ayurved Nursing Professional, to suspend or remove the name from the Register of Ayurved Nursing Professionals, or to take such other disciplinary action against him/her as may, in the opinion of the Council, be necessary or expedient;
- (e) to permit any member to remain absent from three consecutive meetings of the Council;
- (f) to promote innovations, research and development in establishment of new Ayurved Nursing subjects;
- (g) to recommend to the State Government to include new Ayurved Nursing subjects in the Schedule;
- (h) to formulate schemes for promoting Ayurved Nursing education;
- (i) to promote an effective link between Ayurved Nursing education and Ayurved/Homoeopathy/Unani education, and to promote research and development in Ayurved Nursing subjects;
- (j) to lay down norms and standards for courses, curricula, physical and instructional facilities, staff pattern, staff qualifications, quality instructions, assessment and examinations in Ayurved Nursing education;
- (k) to fix norms and guidelines for institutional charges and other fees;
- (l) to recognize the institutions conducting courses in Ayurved Nursing subjects;
- (m) to provide guidelines for admission of students to Ayurved Nursing institutions imparting Ayurved Nursing education;

- (n) to inspect or cause to be inspected any Ayurved Nursing institution;
- (o) to constitute a board for conducting the examination in Ayurved Nursing subjects so as to maintain uniformity of standard; and
- (p) to perform such other functions as may be prescribed by rules.

14. Power of Council to invite any person having special knowledge or experience in Ayurved Nursing subjects.- (1) The Council may invite any person having special knowledge or experience in Ayurved Nursing subjects to its meetings. Any person so invited shall have right to take part in the discussion held at the meeting but shall not have the right to vote.

(2) The Council may pay to a person invited under subsection (1) such compensatory allowances as are admissible to a member of the Council under the provisions of section 9.

15. Registrar and staff.- (1) The State Government shall appoint an officer of the State service to be the Registrar of the Council who shall act as Secretary to the Council and shall perform such other duties as are assigned to him/her by this Act or the rules or regulations made thereunder or as may be specially assigned to him/her by an order of the Council.

(2) The Council may, with the prior approval of the State Government, appoint such other officers and servants as it may consider necessary for the purpose of carrying out its functions under this Act.

(3) The salary and other conditions of service of the officers and the servants of the Council shall be such as may be determined by it with the prior approval of the State Government.

(4) The Registrar and other officers and servants of the Council shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860).

CHAPTER - III

Registration of Ayurved Nursing Professionals

16. Orders for maintenance of registers.- (1) The Council shall, as soon as conveniently may be, after the commencement of this Act and from time to time as occasion may require, make orders for regulating the maintenance of a register of Ayurved Nursing Professionals arranged in several parts in which the persons to be registered shall be classified in accordance with their qualifications.

(2) The registers shall be kept in the form prescribed by the Council.

17. Persons entitled to be registered.- A person having recognized Ayurved Nursing qualification shall be entitled to be registered as a Ayurved Nursing Professional.

18. Applications for registration.- An application for registration by any of the persons mentioned in section 17 shall be made to the Registrar in the prescribed form and shall be accompanied with the prescribed fees.

19. Disposal of applications by Registrar.- (1) If the Registrar is satisfied, after holding in the prescribed manner such inquiry as he/she considers necessary, that the applicant for registration is entitled to be registered under section 17, he/she shall enter his/her name in the appropriate register.

(2) If the Registrar is not satisfied as aforesaid, he/she shall make an order rejecting the application for registration and refund the fee paid with it.

20. Maintenance of registers.- (1) The Registrar shall keep and maintain the registers in accordance with the provisions of this Act and the rules and regulations made thereunder and of any orders made by the Council under section 16 and shall make necessary alterations in the registered addresses and appointments, in the registered qualifications and in the classification of registered Ayurved Nursing Professionals and may erase therefrom the name of any Ayurved Nursing Professional.

(2) In order to fulfil the duties imposed upon him/her by

sub-section (1), the Registrar may send through the post a registered letter to any person registered as a Ayurved Nursing Professional, addressed to him/her according to his/her registered address or appointment, to inquire whether he/she has ceased to practice or whether his/her residence or appointment has been changed; and if no answer to any such letter is received within a period of six months from the date of its despatch, the Registrar may erase the name of such person from the register:

Provided that any name erased under this sub-section may be re-entered in the register under the direction of the Council.

21. Erasure on death.- Whenever a reliable information is received regarding the death of a registered Ayurved Nursing Professional, the Registrar may, after satisfying himself/herself about the fact of such death, erase the name of the deceased person from the register.

22. Erasure of fraudulent and incorrect entries.- Any entry in the registers, which is proved to the satisfaction of the Registrar to have been fraudulently or incorrectly made, may be erased therefrom, by an order recorded in writing, by the Registrar.

23. Prohibition of registration etc. .- (1) The Council may prohibit the registration of any person as an Ayurved Nursing Professional and, if such person is already so registered, may direct the removal of his/her name from the register on any of the following grounds, namely:-

- (a) that he/she has been convicted of any such offence as implies in the opinion of the Council any defect of character such as would render him/her unfit for Ayurved Nursing Profession; or
- (b) that he/she has been found by the Council to be guilty of an offence which, in its opinion, indicates professional incompetence, negligence or contravention of regulations ordinarily included in the performance of his/her duty; or
- (c) that he/she has been found by the Council to be guilty

of professional misconduct or of infamous conduct in any professional respect; or

- (d) that there are defects in his/her character which, in the opinion of the Council, would render the entry or retention of his/her name on the register undesirable:

Provided that no action shall be taken by the Council under this section until after due inquiry, at which the person concerned has been given a reasonable opportunity of being heard in his defence, the person concerned is found to be disqualified as specified in clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d).

(2) Any name removed from the register under sub-section (1) may afterwards be re-entered in the register, and any order of prohibition of registration passed under sub-section (1) may be withdrawn, under the direction of the Council given by a majority of two-thirds of the members present and voting at the meeting.

24. Entry of new titles and qualifications in the register.- (1) If any person whose name is registered under this Act obtains any title or qualification other than the title or qualification in respect of which he/she has been registered, he/she shall on payment of the prescribed fees be entitled to, and may apply to the Registrar for, an entry respecting such other title or qualification made against his/her name in the register either in substitution for or in addition to the entry previously made.

(2) The Registrar may, after making such inquiry as he/she thinks necessary, either make the entry applied for or reject the application for reasons to be recorded in writing.

25. Appeals from orders and decisions of Registrar.- (1) Any person aggrieved by an order or decision of the Registrar under section 19 or section 20 or section 21 or section 22 or section 24, may, within thirty days of such order or decision, appeal to the Council.

(2) Every such appeal shall be heard and disposed of in the prescribed manner.

26. Appeals from orders of Council.- Any person aggrieved by an order or decision of the Council under proviso to sub-section (2) of section 20 or under section 25 may, within three months from the date of such order or decision, appeal to the State Government whose decision thereon shall be final.

27. Preparation, publication and use of annual lists of registered Ayurved Nursing Professionals.- (1) The Registrar shall, in every year on or before a date to be fixed in this behalf by the Council, caused to be prepared, printed and published in the prescribed manner lists in the prescribed form and specifying the prescribed particulars of all the registered Ayurved Nursing Professionals.

(2) In every proceeding it shall be presumed that any person whose name is entered in the latest of the lists published under sub-section (1) is a registered Ayurved Nursing Professional:

Provided that, in the case of a person whose name may have been entered in a register after the publication of a list under sub-section (1) and before the publication of a fresh list thereunder, a certified copy of such entry, signed by the Registrar, shall be an evidence that such person is registered under this Act.

CHAPTER - IV

Recognition of Institutions

28. Recognition of Institutions.- (1) No person shall establish an Ayurved Nursing Institution or conduct any course in Ayurved Nursing subjects for preparing students to obtain any recognized Ayurved Nursing qualification, without the recognition by the Council.

(2) An application for recognition of an Ayurved Nursing Institution shall be made to the Registrar in such form and shall be accompanied with such fee, as may be prescribed.

(3) For the purpose of ascertaining whether recognition may be given or not, the Council shall conduct such enquiry by appointing such number of inspectors whether from among members of the Council or otherwise as it deems necessary and

shall, by order grant recognition or reject the application for recognition.

(4) The educational or training institutions conforming to the standards fixed by the Council by regulations made under this Act alone shall be given recognition under this Act.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), all institutions conducting Ayurved Nursing courses as on the date of commencement of this Act shall apply for and obtain the recognition within six months from the date of commencement of this Act:

Provided that if the institution applying for recognition under this sub-section does not conform to the standards fixed by the Council in this regard, temporary recognition may be granted to the institution subject to the condition that the facilities in accordance with the standards fixed by the Council shall be provided within a period of one year from the date of grant of temporary recognition.

(6) If the institution fails to fulfil the condition specified in proviso to sub-section (5) within the period specified therein, the temporary recognition granted under that sub-section shall stand withdrawn forthwith.

29. Withdrawal of recognition.- The Council may, for the reasons to be recorded in writing and after affording a reasonable opportunity of being heard to the governing body or authority of the concerned institution, withdraw the recognition of an institution with immediate effect.

30. Appeal to the State Government.- Any person aggrieved by the order of the Council granting or refusing to grant recognition any institution under section 28 or withdrawing such recognition under section 29 may, within three months from the date of such order, appeal to the State Government whose decision thereon shall be final.

31. Power of Council to call for information from institutions etc. - (1) The Council shall have power to call upon

the governing body or authority of any recognized institution—

- (a) to furnish reports, returns or other information as the Council may require to enable it to judge the efficiency of the institution or the education or training imparted therein; and
- (b) to provide facilities to enable any member of the Council, deputed by the Council in this behalf, to be present at the examinations to be held by any such institution.

(2) The Council shall have power to inspect any such institution and may for the purpose appoint a committee of not less than three and not more than five members of the Council to inspect the same and submit a report in regard thereto to the Council.

CHAPTER - V

Recognition of Certain Qualifications

32. Qualifications granted outside the territories to which this Act extends.—The Council, if it is satisfied that any qualification in Ayurved Nursing subjects granted by an authority outside the territories of the State of Rajasthan affords a sufficient guarantee of the requisite skill and knowledge, may declare such qualification to be a recognized qualification for the purpose of this Act, and may for reasons appearing to it sufficient at any time declare that such qualification shall be deemed, subject to such additional conditions, if any, as may be specified by the Council, to be recognized only when granted before or after a specified date:

Provided that no person, other than a citizen of India, possessing such qualification shall be deemed to be qualified for registration under this Act unless by the law and practice of the State or Country, in which the qualification is granted, persons of Indian origin holding such qualification are permitted to enter and practice as Ayurved Nursing Professional.

33. Mode of declarations.— The declarations under section

32 shall be made by resolution passed at a meeting of the Council and shall have effect as soon as it is published in the Official Gazette.

CHAPTER - VI

Finances

34. Scale of fees.- (1) The Council may, with the prior approval of the State Government, prescribe the scale of fees payable in respect of all matters and proceedings provided for in this Act or the rules and regulations made thereunder and provide the mode of their payment.

(2) Such fees shall be applied for the purpose of this Act and the rules and regulations made thereunder.

35. Funds of the Council.- (1) The Council shall establish a fund to be called the fund of the Council.

(2) The following shall form part of, or be paid into, the fund of the Council, namely:-

- (a) any contribution or grant made by the Central Government or the State Government;
- (b) income of the Council from all sources including income from fees and fines;
- (c) donations, endowment and other grants, if any; and
- (d) any other sums received by the Council.

(3) The fund of the Council shall be managed and administered in the prescribed manner.

(4) The funds of the Council shall be applied to the following objects, namely:-

- (a) for the repayments of debts incurred by the Council for the purposes of the Act;
- (b) for the expenses of any suit or legal proceedings to which the Council is a party;
- (c) for the payment of salaries and allowances to the officers and staff of the Council;

- (d) for the payment of allowances to the office bearers of the Council;
- (e) for the payment of any expenses incurred by the Council in carrying out the provisions of this Act and the rules and regulations made thereunder; and
- (f) any other expenses incurred for the promotion and development of Ayurved Nursing education, research and training, declared by the Council to be in the general interest of Ayurved Nursing education and profession.

36. Accounts and audit.- (1) The accounts of the Council shall be prepared before such date and at such intervals and in such manner as may be prescribed.

(2) The accounts of the Council shall be audited in such manner and by such authority as may be prescribed.

(3) As soon as the accounts of the Council are audited and approved by the Council, the Council shall send a copy thereof to the State Government.

37. Budget.- (1) The Registrar shall cause to be prepared, in such form as may be prescribed, a budget in respect of the next ensuing financial year, showing the estimated receipts and expenditure and shall cause it to be laid before the Council at such time and in such manner as may be prescribed.

(2) The Council shall be competent to re-appropriate such amounts as may be necessary from one head to another and within such heads or minor heads.

(3) The Council may, as and when required, pass a supplementary budget in such form and by such date as may be prescribed.

CHAPTER - VII

Miscellaneous

38. Prohibition on practice except as provided in this Act.- No person in the State shall practise or hold himself/herself

out, whether directly or indirectly, as a Ayurved Nursing Professional unless he/she is registered under this Act and no Registered Ayurved Nursing Professional in the State shall practise or hold himself/herself out, whether directly or indirectly, as an Ayurved Nursing Professional in any area of specialization other than that covered by the Ayurved Nursing subject in which he/she has recognized qualification.

39. Offences.- (1) Any person who-

- (a) dishonestly makes use of any certificate of registration issued to him/her or to any other person under this Act and the rules and regulations made thereunder; or
- (b) procures or attempts to procure registration under this Act and the rules and regulations made thereunder by making or proceeding or causing to be made or produced any false or fraudulent declaration, certificate or representation, whether in writing or otherwise; or
- (c) fraudulently procures or attempts to procure the entry of new title of qualification under section 24; or
- (d) wilfully makes or causes to be made any falsification in the registers maintained or in the certificates issued under this Act and the rules and regulations made thereunder; or
- (e) being the Secretary, Manager or any other officer of any recognized institution, issues or authorizes the issue of a certificate to any person in contravention of the provisions of this Act or the rules and regulation made thereunder; or
- (f) contravenes the provisions of section 38,

shall, on conviction, be punishable with imprisonment, which may extend to two years, or with fine, which may extend to two lakh rupees, or with both.

(2) Any person who contravenes any of the provisions of this Act or the rules or regulations made thereunder shall, if such contravention does not fall within the provisions of sub-section (1)

on conviction, be punishable, with fine which may extend to one lakh rupees.

40. Cognizance of offence.- No court shall take cognizance of an offence punishable under this Act or the rules or regulations made thereunder except on a complaint made by the Registrar with the previous sanction of the Council.

41. Control of State Government.- If at any time it appears to the State Government that the Council has failed to exercise or has exceeded or abused a power conferred, or has failed to perform a duty imposed, upon it by this Act, the State Government may, if it considers such failure, excess or abuse to be of a serious character, notify the particulars thereof to the Council and, if the Council fails to remedy such failure, excess or abuse within such time as may be fixed by the State Government, may dissolve the Council and cause all or any of the powers and duties of the Council to be exercised and performed by such agency and for such period, not exceeding six months, as it may think fit:

Provided that the State Government shall reconstitute the Council before the expiry of six months from the date of its dissolution.

42. Rules and regulations.- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules generally to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provision, such rules may provide for following matters, namely:-

- (a) to prescribe the manner of election to the offices of the President, Vice-President and the members of the Council;
- (b) to prescribe other functions of the Council under clause (p) of sub-section (2) of section 13;
- (c) to prescribe the manner in which the fund of the Council shall be managed and administered;
- (d) to prescribe the date before which, the intervals at which, and the manner in which, accounts of the Council shall be prepared;

- (e) to prescribe the manner in which and the authority by whom the accounts of the Council shall be audited;
- (f) to prescribe the form in which the Budget of the Council shall be prepared and the time and manner in which the Budget shall be laid before the Council;
- (g) to prescribe the form in which and the date by which supplementary Budget of the Council, if required, shall be passed; and
- (h) to provide for the matters which are required to be or may be provided for by the rules under this Act.

(3) Subject to the provisions of this Act or the rules made thereunder, the Council may, with the approval of the State Government, make regulations to provide for the following matters, namely:-

- (a) to prescribe compensatory allowances under section 9;
- (b) to regulate the transaction of business by the Council or by any committee appointed by it, including the matters specified in sub-section (2) of section 12;
- (c) to prescribe the forms of the Registers of Ayurved Nursing Professionals;
- (d) to prescribe the form of annual lists of registered Ayurved Nursing Professionals and manner of their publication;
- (e) to prescribe the forms of applications required to be made under the provisions of this Act;
- (f) to prescribe the manner and procedure of any enquiry or inspection required to be made under the provisions of this Act or rules or regulations made thereunder by the Council or its committee or the Registrar;
- (g) to prescribe the form and procedure of appeals under this Act;
- (h) to prescribe the scale of fees payable in respect of all matters and proceedings provided for in this Act or the rules and regulations made thereunder and the mode of their payment;

- (i) to determine the strength of the staff of the Council;
- (j) to determine the salaries payable to, and lay down the other conditions of service of the officers and servants of the Council;
- (k) to specify the duties to be performed by the Registrar and other staff;
- (l) to prescribe code of ethics to be observed by the registered Ayurved Nursing Professionals;
- (m) to prescribe the norms and standards for granting recognition to any institution under this Act; and
- (n) to regulate any such other matter which is required to be regulated by regulations under this Act or which, in the opinion of the Council, is necessary to be provided for by regulations in the interest of efficient working of the Council.

(4) The regulations made under sub-section (3) shall be published in the Official Gazette and shall come into force with effect from the date of such publications.

43. Laying of rules and regulations before the Assembly.- All rules and regulations made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or regulations or resolves that any such rule or regulation should not be made, such rule or regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

44. Power of the State Government to amend the Schedule.- On the recommendation of the Council in this behalf, the State Government may, by notification in the Official Gazette, amend the Schedule by inserting a new Ayurved Nursing subject

therein and on and from the date of publication of such notification the Schedule shall stand amended accordingly.

45. Bar to suits and legal proceedings.- No suit or other legal proceeding shall lie against any person in respect of any act done by him in good faith in the exercise of any powers conferred by this Act.

SCHEDULE

[See section 2(d)]

List of Ayurved Nursing Subjects

1. Sharir Rachana Va Kriya (Sharir);
2. Paricharya Ka Mool Siddhant/ Paricharya Ka Itihas;
3. Swasthvritta;
4. Aushadh Dravya Parichaya/ Dravyagun;
5. Ras-shala/ Ras-shastra Bhashajya Kalpna;
6. Vikrati Vigyan;
7. Rog Nidan;
8. Computer Education and Audio Visual Medium;
9. Chikitsa Parichrya/ Chikitsa;
10. Shalya-shalaky Parichrya/ Shalya-shalaky;
11. Stree Prasuti Rog Parichrya/ Prasuti Stree Rog;
12. Bal Swasthya Parichrya/ Komar Bhritya;
13. Panch Karm Parichrya/ Panch Karm and Prakratic Chikitsa;
14. Rogi Parichrya;
15. Agad Tantra and Atyayic Chikitsa;
16. Mano Swasthya Parichrya.

प्रकाश गुप्ता,

Principal Secretary to the Government.